# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

## कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–मा/सी–2/स्थानांतरण/इतिहास/ 2019–20/ दिनांक–29.09.2019 के तहत् श्रीमान् कविन्द्र सिंह व्याख्याता, इतिहास राउमावि कोटखावदा, चाकसू, जयपुर का स्थानांतरण राउमावि स्वामी जी की ढाणी, पोकरण, जैसलमेर किया गया । श्री कविन्द्र सिंह द्वारा इस स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 3068/2019 कविन्द्र सिंह बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

माननीय अधिकरण निर्णय के क्रम में अपीलार्थी श्री कविन्द्र सिंह द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के स्थानान्तरण स्थान (स्वामी जी की ढाणी) से अपने घर की दूरी 600 किलोमीटर के आधार पर परिवेदना प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरागंना से प्राप्त परिवेदनाओं को ही प्राथमिकता की श्रेणी में रखा गया हैं। अपीलार्थी का प्रकरण इनमें से किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आता।

यह विधि सुस्थापित सिद्धान्त है की लोकसेवकों द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन/स्थानान्तरण की मांग अधिकारपूर्वक नहीं कि जा सकती। अपितु उपलब्ध मानव संसाधन का प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार उपयोग करना नियोक्ता के विवेकाधीन है। अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है।

अतःउपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए मात्र दूरी के आधार पर किए गए स्थानान्तरण आदेश से किसी प्रकार से सेवा नियमों का उल्लंघन नहीं पाया गया अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन द्वारा यथावत/वांछित स्थान की मांग नियमानुकूल/तर्कसंगत नहीं होने के कारण एतदद्वारा खारिज की जाकर निस्तारित किया जाता है। कविन्द्र सिंह को निर्देशित किया जाता है कि वह तत्काल अपने समायोजित स्थान पर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–17 के अन्तर्गत कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल मे लायी जावेगी।

सभी संबंधित सूचित हों।

(हिमाशु गुप्ता)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/सी–2/अभ्यावेदन/कविन्द्र सिंह/को.के/19–20

दिनांकः–२०/12/2019

➤ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय),जयपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, जैसलमेर को निर्देशित किया जाता है कि वे कविन्द्र सिंह के निर्धारित तिथि तक स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किये जाने की स्थिती में उनके विरूद्ध सीसीए–17 में विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव इस कार्यालय के विभागीय जाँच अनुभाग–प्रथम को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्राधानाचार्य राउमावि. कोटखावदा,चाकसू,जयपुर /राउमावि स्वामी जी की ढाणी, पोकरण,जैसलमेर।
9. कार्मिक कविन्द्र सिंह व्या0 इतिहास
10. गार्ड पंजिका।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर